



OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI.

POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.

Telephone No. 011-23746100 Extn. 69970.

FOR PUBLICATION IN DELHI POLICE GAZETTE
(ORDERS BY THE ADDL. DY. COMMISSIONER OF POLICE/ HQ-IV : DELHI)

NOTIFICATION

Dated 08/10 /2026

No. 70777 /CB-V/PHQ: **PROMOTION:** - HC (Dvr.) Yogesh Kumar, No. 3955/PCR (PIS No. 28083019) (SC) whose name exists on Promotion List (Technical Cadre) at Sl. No. 203 in between the names of HCs (now ASIs) (Dvr.) Ravi Kumar, No. 4213/Sec. (PIS No. 28083089) and Vipin Anand, No. 3196/T (PIS No. 28083099) for the vacancy year-2026 vide this Headquarter's Notification dated 17.09.2026 for the vacancy year 2026, is hereby promoted to officiate as ASI (Dvr.) w.e.f. 07.09.2026 and placed on probation for a period of two years.

C.G. No. P-081026-143-0003

However, he is granted notional promotion for the post of ASI (Dvr.) w.e.f. 07.09.2026 upto the day preceding the issuance of this notification. During this period he will not be entitled to draw pay and allowances of the higher post to which he has been promoted but this period will otherwise count towards fixation of his pay, increments and seniority etc.

This notification is subject to further orders that may be passed by the Hon'ble Supreme Court in the Jarnail Singh batch of cases as mentioned in DOPT's O.M. No. 36012/16/2019-Estt. (Res.), dated 12.04.2022.

(ARUN K. SHARMA)

ADDL. DY. COMMISSIONER OF POLICE:
HEADQUARTERS-IV: DELHI

No. 70778-70786 /CB-V/PHQ dated Delhi the 08/10 / 2026.

Copy for information and necessary action to the:-

1. DCP/PCR, Delhi. The individual may also be asked to opt for choosing the date of fixation of pay on promotion, if any, under rule FR-22 (I)(a)(I) and GOI's order No. 17 below FR-22, as per PHQ's endst. No. 14048-99/CR-II/PHQ dated 28.08.2008.
2. DCsP/I.T. (PHQ), Delhi.
3. Insp. Estt. (PHQ) with one spare copy for publication in Delhi Police Gazette.
4. Insp. 'P'/PHQ, Delhi.
5. ACs- 'R', Computer & T/P Cell CB/PHQ.
6. AC- VIII with one (01) spare copy for placing the same in his Personal File.



कार्यालय पुलिस आयुक्त : दिल्ली
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष नं. 011-23746100, एक्सटेंशन 69970

दिल्ली पुलिस गजट में प्रकाशन हेतु
(अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/मुख्यालय-IV: दिल्ली के आदेशानुसार)

अधिसूचना

दिनांक ०८/१०/२०२६

सं. ७०७७७ / गोपनीय शाखा-V/पुलिस मुख्यालय: पदोन्नति:- प्रधान सिपाही (चालक) योगेश कुमार, नं. 3955/पीसीआर (पीआईएस नं. 28083019) (अनु. जाति), जिनका नाम इस मुख्यालय की दिनांक 17.09.2026 की अधिसूचना द्वारा रिक्ति वर्ष 2026 के लिए जारी पदोन्नति सूची (तकनीकी संवर्ग) में क्रम संख्या 203 पर, प्रधान सिपाहियों (अब स.उप.नि.) (चालक) रवि कुमार, नं. 4213/सुरक्षा (पीआईएस नं. 28083089) तथा विपिन आनंद, नं. 3196/टी (पीआईएस नं. 28083099) के नामों के मध्य विद्यमान है, को दिनांक 07.09.2026 से स.उप.नि. (चालक) के पद पर कार्यवाहक रूप से पदोन्नत किया जाता है तथा दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।

कम्प्यूटर जनित संख्या: पी- ०१ 1026-143-०००३

हालाँकि, उन्हें दिनांक 07.09.2026 से इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व दिवस तक स.उप.नि. (चालक) के पद पर काल्पनिक पदोन्नति प्रदान की जाती है। उक्त अवधि के दौरान वे जिस उच्चतर पद पर पदोन्नत किए गए हैं, उस पद के वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। तथापि, उक्त अवधि को उनके वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि, वरिष्ठता आदि के प्रयोजनार्थ अन्यथा गणना में लिया जाएगा।

यह अधिसूचना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/16/2019-स्था. (आरक्षित), दिनांक 12.04.2022 में उल्लिखित जरनैल सिंह मामलों के समूह में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आगामी आदेशों के अधीन है।

(अरुण कुमार शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त:
मुख्यालय-IV: दिल्ली

सं. ७०७७८-७०७८६ / गोपनीय शाखा-V/पुलिस मुख्यालय, दिल्ली, दिनांक ०८/१०/२०२६

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस उपायुक्त/ पीसीआर, नई दिल्ली।। पुलिस मुख्यालय की पृष्ठांकन सं. 14048-99/सीआर-II/ पुलिस मुख्यालय, दिनांक 28.08.2008 के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को नियम एफआर-22 (I)(a)(I) और एफआर-22 के तहत भारत सरकार के आदेश सं. 17 के अंतर्गत, यदि कोई हो, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की तिथि चुनने का विकल्प देने के लिए भी कहा जा सकता है।
2. पुलिस उपायुक्त/आई.टी. (पुलिस मुख्यालय), दिल्ली।
3. निरीक्षक/ स्थापना शाखा (पुलिस मुख्यालय) को दिल्ली पुलिस गजट में प्रकाशन के लिए एक अतिरिक्त प्रति के साथ।
4. निरीक्षक/ कार्मिक शाखा, पुलिस मुख्यालय।
5. प्रभारी - 'आर', कंप्यूटर और टी/पी सेल, सीबी/ पुलिस मुख्यालय।
6. प्रभारी - VIII को एक अतिरिक्त प्रति के साथ उनकी व्यक्तिगत फाइल में रखने के लिए।